

16-11-78

पत्रावली पेश हुयी वादीगण एवं
 वादीगण के वकील को एक एक
 करके आवाज लगाई गयी वादीगण
 एवं उनके वकील उपस्थित नहीं
 हैं। अतः बाद वादीगण अदालत
 धाजरी व अदालत कक्षी के कार्रवाई
 किया जाता है। पत्रावली
 के अन्तर्गत दोनो पक्षों के बीच
 दो दोनो पक्षों कार्रवाई हो